

## विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	कृषि
तारांकित प्रश्न संख्या	:	5098
उत्तर की तिथि	:	11.03.2022
विषय	:	आरक्षण
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री पवन कुमार काजल ( कांगड़ा )
सम्बन्धित मन्त्री	:	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री

प्रश्न	उत्तर
<p>क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि दिनांक 22.11.2012 को माननीय उच्च न्यायालय शिमला ने केस नंबर सी0डब्ल्यू0पी0 4872 निर्णय के अन्तर्गत प्रधान सचिव (पर्सनल), हिमाचल प्रदेश सरकार और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर को निर्देश दिए थे कि ओ०बी०सी० कैटेगरी को अगले सत्र से वांछित ओ०बी०सी० कैटेगरी का आरक्षण प्रदान किया जाए परन्तु चालू सत्र में केवल एक ही सीट पर आरक्षण दिया गया; माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन कब तक कर दिया जाएगा ?</p>	<p>सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।</p>

श्री पवन कुमार काजल (कांगड़ा) द्वारा पूछे गये तारांकित विधानसभा प्रश्न संख्या 5098 से सम्बन्धित सूचना:—

जी, हाँ। चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर में वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश की याचिका संख्या 4872/12 दिनांक 01.08.2012 के आदेशानुसार निम्नलिखित स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग को एक-एक सीट आरक्षित की गई है:—

1. B.Sc. ( Hons . ) Agriculture
2. B.V.Sc. & A.H.
3. B.Sc. Physical Sciences (Physics, Chemistry & Mathematics)
4. B.Sc. Life Sciences (Botany, Zoology & Chemistry)
5. B.Sc. (Hons.) Community Science
6. B. Tech. (Food Technology)

\*\*\*\*\*